न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 06/2019 / 13\19

शीर्षक

1. हीरालाल पुत्र स्व0 भूरा
2. भवगवान सहाय पुत्र स्व0 भूरा
3. शंकर पुत्र स्व0 बाबूलाल
4. लालचन्द पुत्र स्व0 बाबूलाल
5. कैलाश उर्फ कल्याण पुत्र स्व0 बाबूलाल
6. राधेश्याम पुत्र स्व0 प्रभूदयाल
7. मुकेश पुत्र स्व0 प्रभूदयाल
8. रामजीलाल पुत्र स्व0 प्रभूदयाल

समस्त जाति खाती, नि0 कालच्या, तन आमलोदा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

रसी देवी पत्नी स्व0 नाथू

वण कुमार पुत्र स्व0 नाथू

समस्त जाति खाती, नि0 कालच्या, तन आमलोदा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट –1955

निर्णय दिनांक: 17.06.2019

दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार पेश है कि आराजी खाता संख्या 157 के ख.नं. 855/0.04, 0/0.66, 881/0.17, 882/0.18, 883/0.25, 888/0.71, 889/0.69, 890/0.04, 891/0.02, 892/0. 893/0.36, 894/0.38, 895/0.44, 899/0.04, 901/0.04 कुल किता 15 रकबा 4.05 है0 वाकै ग्राम लोदा पटवार हल्का धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसको आगे विवादित आराजी के से सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व के नाम 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1/2 के खातेदार अन्य काश्तकार के नाम दर्ज है। गण तथा प्रतिवादीगण एक ही खानदान के एक ही बुजुर्ग भूरा खाती की सन्तान है जिसमें भूरा का 2 हिस्सा दर्ज है। मौके पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में से ने अपने हिस्से 1/5, 1/5 पर काबिज काश्त तथा आबाद है। वादीगण बुजुर्ग के 5 सन्तान क्रमशः बाबूलाल, प्रभूदयाल, हीरालाल व भगवानसहाय जायन्दा सन्तान थी। उक्त आराजी पर वादी/प्रतिवादी बुजुर्ग भूरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से कब्जा काश्त करते आ रहे थे तथा क्त राज बिराजी व लागू होने काश्तकारी कानून वादीगण के पिता भूरा की मृत्यु हो चुकी थी तथा वाद न मुतवादिया में कर्ता धर्ता खानदान स्व0 नाथू होने व शेष भूरा की 4 सन्ताने नाबालिग होने से उक्त र्ग आराजी का हिस्सा 1/2 जो कि भूरा की थी, अकेले प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति के नाम हो गई जबकि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ही आबाद व काबिज है तथा तामीरात कर न, दुकाने बना रखी है तथा विद्युत कनेक्शन लेकर अलग–अलग रह रहे है। मौके पर चौमू अजीतगढ़ स्टैण्ड पर पश्चिम में झांकता है जिस पर क्रमशः दक्षिण दिशा के छोर की ओर प्रतिवादी सं. 1 व 2 उत्तर की ओर वादी सं. 4 व 7 इनके उत्तर में वादी सं. 3 तथा इनके उत्तर में प्रतिवादी सं. 1 ने मकानात व दुकानात बनाकर काबिज है तथा इनके पिछे काश्त की जमीन को अलग–अलग बांटकर –बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जबकि राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी दी सं. 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जो कि कर्ता खानदान की हैसियत से दर्ज हो गया।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) शाहपुरा(जयपुर)राजस्थान

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति ने कर्ता खानदान की हैसियत से पैतृक सम्पति को अपने अकेले नाम करवा लिया जबकि अर्सा 40 वर्षों से अधिक समय से वादीगण साधिकार वाद अधिन विवादित राजी पर हिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कार्ड दुरूस्ती के लिये कहने पर प्रतिवादीगण किसी न किसी बहाने टालमटोल करते आये है तथा कहते ये है कि कभी भी अभियान में समय मिलेगा या तहसील कार्यालय में चलकर दुरूस्ती करवा देगें। जिस दीगण एक ही परिवार कुटुम्ब हिन्दु के होने से विश्वास करते आये है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की नकारी के सुचारू रूप से खुले में निरन्तर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है परन्तु अब जमीन के भाव ढ़ने से प्रतिवादीगण के मन में खोट उत्पन्न हो गया है। चूंकि अब प्रतिवादीगण बार–बार टालमटोल करने तथा रिकार्ड दुरूस्ती हेतु बहाना बनाते रहने पर तथा दिनांक 15.10.2013 को रिकार्ड दुरूस्ती से साफ ना करने पर यह वाद पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ने शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा की कतालिका पेश की है जिसमें प्रतिवादी सं. 2 वर्तमान में बालिग हो चुका है।

वादपत्र पेश होने पर वादपत्र विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुनवाई का मुचित अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र के संबंध में राजीनामा पेश कर ाहिर किया कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर हमारे हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरा खानदान अनुसार बराबर–बराबर 1/5 – 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। नी सम्पूर्ण रकबा में हिस्सा 2/5 वादीगण, 1/10 हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 क रहेगा तथा शेष हिस्सा थावत रहेगा। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जबावदावे के साथ में राजीनामा भी पेश किया गया वाद पत्रानुसार प्रतिवादीगण के पिता/पति नाथू पुत्र भूरा कर्ता खानदान होने से इसकी खातेदारी के नाम अकेले ही दर्ज होना स्वीकार किया साथ में यह भी जाहिर किया कि मौके पर हम वादी व तिवादीगण बराबर–बराबर 1/10 – 1/10 हिस्से सम्पूर्ण आराजी के रकबे पर काबिज है। सेटलमेन्ट से ले बुजुर्ग भूरा की मृत्यु हो गई थी जिस कारण भूरा के बड़े पुत्र नाथू जो कि कर्ता खानदान बड़े भाई के म खातेदारी दर्ज हो गई थी। आपसी सहमति व स्वविवेक से राजीनामा कर लिया है। सजरा खानदान के ाबिक भूरा के पांचों लड़कों का बराबर–बराबर हिस्सा रहेगा तथा प्रतिवादी सं0. 1 व 2 के नाम 1/10 स्सा रहेगा तथा शेष 2/5 हिस्सा वादीगण के नाम रहेगा।

अन्त में राजीनामा के साथ जाहिर किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी को को दपत्र में उल्लेखित खसरा खानदान के मुताबिक भूरा के पांचों लड़कों का बराबर हिस्सा दर्ज करने से हम हमत है तथा भविष्य में किसी प्रकार की उज्रजारी नहीं करेगें।

वकील वादी ने अपनी बहस में उक्त वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं तथा राजीनामा में उल्लेखित बिन्दुओं र ध्यान आकर्षित कर भूरा जो कि विवादित आराजी का 1/2 खातेदार था तथा भूरा की मृत्यु भू–प्रबन्ध ार्यवाही से पूर्व ही होने से उसके बड़े पुत्र नाथू अकेले के भूमि नाम दर्ज होना तथा मौके पर भूरा की 5 ंतानों का कब्जा होना जाहिर करते हुए उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्स हफज र मुताबिक वादपत्र व राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना साबित है तथा मुताबिक वादपत्र, राजीनामा व वकील वादी की बहस पर पाया गया कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति जो भूरा का कर्ता खानदान होने से अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा मौके पर भूरा के 5 पुत्रों व उनके ारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चलता आ रहा है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा भी पेश किया है तथा वादपत्र को डिक्री किये जाने से राहमत है। प्रतिवादी सं. 2 जन्मतिथि 10वी कक्षा की अंकतालिका के अनुसार 02.07.1990 है जो कि बालिग है।

अतः वादपत्र वादीगण के पक्ष में मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि आ0ख0नं0 855/0.04, 880/0.66, 881/0.17, 882/0.18, 883/0.25, 888/0.71, 889/0.69, 890/0.04, 891/0. 02, 892/0.03, 893/0.36, 894/0.38, 895/0.44, 899/0.04, 901/0.04 कुल किता 15 रकबा 4.05 है0 वाकै ग्राम आमलोदा पटवार हल्का धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण नाबालिग श्रवण कुमार पुत्र नाथू राम संरक्षक सरपरस्त माता ग्यारसी देवी के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 हफज कर खाता सं. 157 में सम्पूर्ण में वादी सं. 1 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 3 लगा0 5 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 6 लगा0 8 का हिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा0 2 का हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

वाद संख्या 06/2019 13/15

दीवानी

1. हीरालाल पुत्र स्व0 भूरा
2. भगवान सहाय पुत्र स्व0 भूरा
3. शंकर पुत्र स्व0 बाबूलाल
4. लालचन्द पुत्र स्व0 बाबूलाल
5. कैलाश उर्फ कल्याण पुत्र स्व0 बाबूलाल
6. रतिराम पुत्र स्व0 प्रभुदयाल
7. मुकेश पुत्र स्व0 प्रभुदयाल
8. रामजीलाल पुत्र स्व0 प्रभुदयाल

समस्त जाति खाती, नि0 कालख्या, तन आमलोदा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भारती देवी पत्नी स्व0 नाथू
2. श्रवण कुमार पुत्र स्व0 नाथू

समस्त जाति खाती, नि0 कालख्या, तन आमलोदा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

3. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)
4. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तहार हक, दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट –1955

निर्णय दिनांक:17.06.2019

अतः वादपत्र वादीगण के पक्ष में मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि आ0ख0नं0 855/0.04, 880/0.66, 881/0.17, 882/0.18, 883/0.25, 888/0.71, 889/0.69, 890/0.04, 891/0.12, 892/0.04, 893/0.36, 894/0.38, 895/0.44, 899/0.04, 901/0.04 कुल किता 15 रकबा 4.05 80 वाके ग्राम आमलोदा पटवार हल्का [illegible] तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण नाबालिग श्रवण कुमार पुत्र नाथू [illegible] संरक्षक [illegible] माता भारती देवी के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 हफज कर खाता सं 167 में सम्पूर्ण में वादी सं. 1 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 2 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 3 लगा0 5 का हिस्सा 1/10, वादी सं. 6 लगा0 8 का हिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा0 2 का हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

अन्तिम डिक्री आज तारीख 17.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

([illegible] कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

वाद के खर्चे

वादी	धनराशि	प्रतिवादी	धनराशि
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प [illegible]	/	[illegible] पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. [illegible] पत्र के लिए स्टाम्प		[illegible] के लिए स्टाम्प	
3. [illegible] के लिए स्टाम्प		[illegible] की फीस	
4. [illegible] की फीस		[illegible] के लिए [illegible]	
5. [illegible] के लिए [illegible]		[illegible] की [illegible]	
6. [illegible] की फीस		[illegible] की फीस	
7. [illegible] के [illegible]			
जोड़		जोड़	